न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वासगीत पर्चा अपील वाद संख्या–48/2013
कृष्णचन्द्र झा –बनाम– बैजू पासवान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23/05/2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद आवेदक कृष्णचन्द्र झा की ओर से विपक्षी बैजू पासवान वो विनोद पासवान पेसरान शिबु पासवान के विरूद्ध दाखिल किया गया है। वाद प्रतिगहन के पश्चात् विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से लिखित बयान दिनांक 04.06.2014 को दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, बहादुरपुर से जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1348 दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्राप्त है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजे बरहेता अंचल वो थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा अवस्थित खाता नं0–222 पुराना, 246 नया, खेसरा नं0–324 पुराना 1024 नया, रकबा 70डी0 भूमि इनके पिता स्व0 पशुपति झा के नाम खतियान में दर्ज है वो दखल कब्जा में रहता चला आ रहा है जिस पर विपक्षी अवैध निर्माण करने लगे तो उन्हें रोका। परन्तु नहीं रुका, लीगल नोटिस किया गया, जवाब नहीं दिया, तब एक भूमि विवाद वाद संख्या 505/2012 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के न्यायालय में दायर किया, जिसमें पारित निर्देश के आलोक में यह वाद दायर किया है। इनका यह भी कथन है कि भूमि वाद के दौरान जानकारी हुई है कि विपक्षीगण ने इनकी भूमि का गलत वासगीत पर्चा 15डी0 जमीन वासगीत वाद संख्या 22/65 2002–03 द्वारा अंचल से प्राप्त कर लिया है। अतः वासगीत पर्चा को रद्द किया जाय। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि खेसरा नं0–324 के भूमि पर विपक्षी का पूर्वजों के समय से आवासीय मकान अवस्थित है, जिसमें सपरिवार रहते चले आ रहे हैं वो दखल–कब्जा के आधार पर प्रत्येक विपक्षी के नाम 5–5 डी0 भूमि का वासगीत पर्चा अभिलेख 22/65, 2002–03 द्वारा निर्गत हुआ जिस पर इन्दिरा आवास योजना का मकान निर्मित किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी आवेदक को थी। आवेदक ने गलत मंशा से यह वाद दायर किया है, जो खारिज योग्य है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, बहादुरपुर के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 1348 दिनांक 23.06.2017 सही है, जिस पर वासगीत पर्चाधारी का	

आवासीय मकान मय सहन अवस्थित है एवं जमाबन्दी कायम है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक ने एक लम्बी अवधि के पश्चात् यह वाद दायर किया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक ने वासगीत पर्चा निर्गत वर्ष 2002–03 के विरूद्ध एक लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात् यह वाद दायर किया है, एवं विलम्ब के संबंध में कोई सार्थक व्याख्या नहीं किया है। वासगीत पर्चा पर विपक्षीगण का दखल–कब्जा है और इन्दिरा आवास योजना से मकान निर्मित है, जिस कारण प्रस्तुत अपीलवाद निरस्त किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।